राजस्थान सरकार

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जयपुर

फोन नम्बर –0141–2209001, 0141–2200119 ईमेल आईडी–wedjpcl@gmail.com

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार के द्वारा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन(निवारण,प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम,2013(2013 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या–14) पूर्व में लागू किया जा चुका है (अधिनियम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,भारत सरकार की वेबसाईट www.wcd.nic.in तथा महिला एवं बाल विकास विभाग,राजस्थान सरकार की वेबसाईट www.wcd.rajasthan.in पर उपलब्ध है)। अधिनियम के अध्याय – ।। की धारा 4(1) के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता (विभाग,उद्यम,संस्थानों,कार्यालय, आदि तथा वह सभी स्थान जो कार्यस्थल के रूप में है।) को अपने कार्यस्थल के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाना आवश्यक है। ऐसे कार्यालय/प्रशासनिक इकाई जिनके कार्यस्थल विभिन्न संभागों अथवा उपखण्ड स्तर पर स्थित है,आंतरिक शिकायत समिति का गठन प्रत्येक कार्यालय(जहाँ पर 10 या 10 से अधिक कार्मिक कार्यरत हो) अथवा प्रशासनिक ईकाई पर किया जाना आवश्यक है। साथ ही कार्यस्थल पर आंतरिक समिति गठन का आदेश(जिसमें अध्यक्ष,सदस्यों के नाम,मोबाईल नम्बर होना आवश्यक है)प्रदर्शित करना अनिवार्य है।

नियोक्ता द्वारा अधिनियम के अंतर्गत कार्यशालाएँ एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा वार्षिक रिपोर्ट जिला कलक्टर,जयपुर/उपनिदेशक,महिला अधिकारिता,जयपुर रूम नम्बर 206,कलेक्ट्रेट, केम्पस में भिजवाना अनिवार्य है।

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन(निवारण,प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम,2013 की पूर्ण अनुपालना नहीं होने की स्थिति में अधिनियम 2013 के अनुसार दंडीत तथा शास्ती प्रतिरोपित की जावेगी।

सखी(अपराजिता केन्द्र): वन स्टॉप सेन्टर :–

यह केन्द्र जयपुरिया अस्पताल,टोंक रोड,जयपुर के परिसर में 24 घंटे संचालित है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की हिंसा से पीडित महिलाओं हेतु निःशुल्क चिकित्सा सुविधा,परामर्श सेवाऐं ,न्यायिक सहायता,पुलिस सहायता तथा अस्थायी आश्रय सुविधाएँ उपलब्ध है।

महिला हेल्पलाईन–181 :–

महिलाओं/बालिकाओं की सहायता (सलाह, सुझाव, मदद, सूचना, मार्गदर्शन हेतु राज्य में महिला हेल्पलाईन–181 सेवा भी 24 घंटे संचालित है।

आज्ञा से

(डॉ राजेश डोगीवाल)
उपनिदेशक
महिला अधिकारिता
जयपुर

(जगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर